

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

भगवानी

बनाम

धनी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 468/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/12/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>भगवानी</u></p> <p>पत्नी श्री <u>शम्भू जी चमार</u></p> <p>निवासी- <u>चिकली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>32, 33, 40</u> <u>0.03, 0.17, 0.01</u></p> <p><u>41, 46, 53</u> <u>0.07, 0.36, 0.12</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> कुल रकबा <u>0.7600</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>चिकली</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>32, 33, 40, 41, 46, 53</u> <u>0.03, 0.17, 0.01, 0.07, 0.36, 0.12</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> रकबा <u>0.7600</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000.00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपए</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>SP</u> (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>